# 34

# रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
## (2021-22)
## सत्रहवीं लोक सभा

## रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
## (औषध विभाग)

## अनुदानों की मांगें
## (2022-23)

# चौंतीसवां प्रतिवेदन

## लोक सभा सचिवालय
## नई दिल्ली

**मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)**

**सीसीएंडएफ सं. 162**

# चौंतीसवां प्रतिवेदन

# रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
# (2021-22)

## (सत्रहवीं लोक सभा)

## रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
## (औषध विभाग)

### अनुदानों की मांगें
### (2022-23)

21 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

21 मार्च, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

**लोक सभा सचिवालय**
**नई दिल्ली**

**मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)**

| विषय-सूची | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| समिति (2021-22) की संरचना | | |
| प्राक्कथन | | |
| अध्याय - एक | परिचय | |
| अध्याय - दो | अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच [मांग संख्या 7] | |
| अध्याय - तीन | बजट उपयोग प्रवृत्ति (2019-20 से 2021-22) | |
| अध्याय - चार | सरकारी क्षेत्र के उपक्रम | |
| | भाग दो | |
| टिप्पणियां/सिफारिशें | | |
| परिशिष्ट | | |
| एक. | रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 25.02.2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश | |
| दो. | रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 16.03.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश | |

## रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

**श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि - सभापति**

**सदस्य**

**लोक सभा**

2. श्री दिवेन्दु अधिकारी
3. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
4. श्री दीपक बैज
5. श्री रमाकान्त भार्गव
6. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
7. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
8. श्री संजय शामराव धोत्रे
9. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
10. श्री कृपानाथ मल्लाह
11. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
12. श्री सत्यदेव पचौरी
13. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
14. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
15. श्री अरुण कुमार सागर
16. श्री एम. सेल्वराज
17. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
18. श्री अतुल कुमार सिंह
19. श्री प्रदीप कुमार सिंह
20. श्री उदय प्रताप सिंह
21. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

**राज्य सभा**

22. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
23. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
24. डॉ. अनिल जैन
25. श्री एम.वी. श्रेयम्स कुमार
26. श्री जयप्रकाश निषाद
27. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
28. श्री अरुण सिंह
29. श्री विजय पाल सिंह तोमर
30. श्री के. वेंलेल्वना
31. रिक्त

**सचिवालय**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री विनोद कुमार त्रिपाठी | - | संयुक्त सचिव |
| 2. | श्री एन.के. झा | - | निदेशक |
| 3. | श्री सी. कल्याणसुन्दरम | - | अपर निदेशक |
| 4. | सुश्री सोनिया सांखला | - | समिति अधिकारी |

# प्राक्कथन

मैं, रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत किए जाने पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' संबंधी यह चौतीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करती हूँ।

2. समिति ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' की जांच की जिसे 08 फरवरी, 2022 को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

3. समिति ने 25 फरवरी, 2022 को हुई अपनी बैठक में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. समिति ने दिनांक 16 **मार्च** 2022 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकार किया।

5. समिति अपने समक्ष लिखित उत्तर और अन्य जानकारी प्रस्तुत करने तथा विचार व्यक्त करने के लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहती है।

6. समिति अपने से जुड़े लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा इसे प्रदान की गई महत्वपूर्ण सहायता के लिए भी उनकी सराहना करती है।

7. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

**नई दिल्ली;**
**16 मार्च , 2022**
**25 फाल्गुन, 1943(शक)**

**कनिमोझी करुणानिधि**
**सभापति,**
**रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति**

## टिप्पणियां/सिफारिशें

**सिफारिश संख्या 1 : औषध विभाग के लिए बजटीय आवंटन**

समिति नोट करती है कि विभाग द्वारा इस वर्ष के लिए प्रस्तावित 10383.25 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले 2022-23 के बजट अनुमान (बीई) चरण में औषध विभाग के लिए 2244.15 करोड़ रुपये का सकल बजटीय आवंटन किया गया है। तुलनात्मक दृष्टि से 2600.52 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय की तुलना में वर्ष 2021-22 का सकल बजटीय आवंटन 470.41 करोड़ रुपये था जो कि विभाग द्वारा प्रस्तावित परिव्यय का केवल 18% था और इस बार यह बढ़कर 21.6 प्रतिशत हो गया है। भले ही वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक आवंटन विभाग की मांग की तुलना में बहुत कम है, इस आवंटन का बड़ा हिस्सा विभाग की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए दिया गया है। विभाग की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 2313.02 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की तुलना में 2202.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। "औषध उद्योग के विकास" से संबंधित शीर्षों के लिए विभाग की 1767.02 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 1729.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। " सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता" के पूंजी खंड के तहत विभाग ने 8026.78 करोड़ रुपये की मांग की, लेकिन 2022-23 के बजट अनुमान स्तर पर केवल 5.30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। चूंकि विभाग की विकास योजनाओं को लागू करने के लिए अनुदान की मांग बजटीय आवंटन से लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए समिति को लगता है कि अब गेंद विभाग के पाले में है। पिछले वर्षों के भिन्न, इस वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा बजटीय आवंटन की अपेक्षित राशि दिए जाने से विभाग के हाथ मजबूत हुए हैं। अब विभाग को अपनी सभी विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से अपनी काबिलियत साबित करनी है। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि विभाग द्वारा उन सभी विकासात्मक योजनाओं के संबंध में मासिक प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों के साथ एक वार्षिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसके लिए प्रमुख शीर्ष 2852 और 2552 के तहत बजटीय आवंटन की अपेक्षित राशि प्रदान की गई है और इस वर्ष के लिए किए गए बजटीय आवंटन के समय पर और संसाधनपूर्ण उपयोग के लिए प्रत्येक विकासात्मक योजनाओं के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। प्रत्येक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रभावी निगरानी विभाग में उच्चतम स्तर पर की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को वर्ष 2022-23 के दौरान बजटीय आवंटन का

पूरा उपयोग करके समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए। इस संबंध में की गई प्रगति की सूचना समिति को दी जानी चाहिए।

<u>सिफारिश संख्या 2: राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) के लिए परिसरों का निर्माण</u>

समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए 440 करोड़ रुपये विभाग के प्रस्ताव की तुलना में एनआईपीईआर (प्रमुख शीर्ष 2552 + 2852 में) के लिए 395.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटित राशि का उपयोग रायबरेली, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद और हाजीपुर में एनआईपीईआर के परिसरों के निर्माण और संस्थानों के उपकरणों की खरीद/आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए भी किया जाएगा। जहां तक एनआईपीईआर परिसरों के निर्माण का संबंध है, विभाग ने अहमदाबाद एनआईपीईआर के संबंध में 100% निर्माण और हाजीपुर, हैदराबाद, रायबरेली और कोलकाता एनआईपीईआर के संबंध में 30% निर्माण पूरा करने का प्रस्ताव किया है।हाल ही में, समिति ने गुवाहाटी और कोलकाता में स्थित एनआईपीईआर का दौरा किया। गुवाहाटी के लिए स्थायी परिसर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, जबकि कोलकाता एनआईपीईआर छोटे किराए के परिसर में काम कर रहा था जो 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' के दर्जे के अनुरूप नहीं है। इसलिए, समिति महसूस करती है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हाजीपुर, हैदराबाद, रायबरेली और कोलकाता स्थित एनआईपीईआर के लिए अत्याधुनिक स्थायी परिसरों को समयबद्ध तरीके से बनाया जाए ताकि वे 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' को सही भावना से कार्य करने में सक्षम हो सके। इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि इन चार एनआईपीईआर के लिए स्थायी परिसरों का निर्माण दो वर्षों के भीतर पूरा किया जाए। विभाग ने अब इस उद्देश्य के लिए आवंटित बजटीय निधि से 2022-23 के दौरान निर्माण का 30% प्रतिशत कार्य पूरा करने का प्रस्ताव रखा है। इसके बजाय विभाग 2022-23 के दौरान सभी चार एनआईपीईआर के निर्माण का 50% कार्य पूरा करने की योजना बना सकता है और शेष निर्माण कार्य 2023-24 के दौरान पूरा किया जा सकता है। इन चार एनआईपीईआर अर्थात हाजीपुर, हैदराबाद, रायबरेली और कोलकाता के निर्माण के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता होने पर 2022-23 के दौरान संशोधित अनुमान के चरण में/पूरक मांगों के दौरान अतिरिक्त मांग की जा सकती है।_समिति की यह सिफारिश वित्त मंत्रालय को भी विचारार्थ भेजी जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए।

सिफारिश संख्या 3: राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के प्रदर्शन की निगरानी

समिति यह जानकर चिंतित है कि एनआईपीईआर ने 2021-22 के लिए 900 शोध प्रकाशनों के लक्ष्य के मुकाबले 15 फरवरी, 2022 तक केवल 602 शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हैं। इसी तरह, इस वर्ष के लिए 45 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 13 पेटेंट दायर/स्वीकार किए गए हैं। वर्तमान में मोहाली और गुवाहाटी में स्थित एनआईपीईआर बहुत अच्छी बुनियादी सुविधाओं के साथ स्थायी परिसरों में काम कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की संख्या, शोध पत्र प्रकाशन और पेटेंट दाखिल करने के मामले में उनका प्रदर्शन अन्य एनआईपीईआर की तुलना में बेहतर नहीं है, जिनमें वर्तमान में अच्छी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2022-23 के लिए, गुवाहाटी एनआईपीईआर ने 185 छात्रों, 140 शोध प्रकाशनों और केवल 8 पेटेंटों के लिए भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया है जो हैदराबाद, मोहाली और अहमदाबाद एनआईपीईआर से कम हैं। इस संबंध में, समिति उम्मीद करती है कि स्वयं के बुनियादी ढांचे और आवश्यक संख्या में संकायों वाले एनआईपीईआर को दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि औषध विभाग को नियमित रूप से एनआईपीईआर के प्रदर्शन की निगरानी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों की संख्या, शोध प्रकाशन और पेटेंट के संबंध में निर्धारित लक्ष्य उनके द्वारा अनिवार्यरूपेण प्राप्त किए जाते हैं। विभागीय स्तर पर प्रत्येक एनआईपीईआर के प्रदर्शन की त्रैमासिक समीक्षा की जानी चाहिए और एनआईपीईआर को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को विभाग द्वारा दूर किया जाए।

सिफारिश संख्या 4: राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसंधान और विकास में सहायता

समिति यह भी नोट करती है कि एनआईपीईआर वर्तमान में संवृत वातावरण में कार्य कर रहे हैं, जिससे आम जनता का कोई सरोकार नहीं है। औषध विभाग के अनुसार, एक सामान्य अनुसंधान कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके तहत देश के लोगों के सामने आने वाली सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं को एनआईपीईआर द्वारा सामान्य शोध के लिए पहचाना गया है। निजी क्षेत्र की प्रमुख दवा कंपनियों की अपनी अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं हैं लेकिन औषध क्षेत्र के मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) में उनकी कमी है। चूंकि एनआईपीईआर के लिए औषध अनुसंधान में उत्प्रेरक की भूमिका निभाना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए समिति निम्नलिखित सिफारिशें करना चाहती है: -

तैयार किया जाना चाहिए और एनआईपीईआर द्वारा सामान्य अनुसंधान के लिए देश के स्वास्थ्य संबंधी कुछ क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है।

सकते हैं और इस संबंध में औषध विभाग द्वारा एनआईपीईआर के समन्वय से एक व्यावहारिक मॉडल तैयार किया जा सकता है।

<u>सिफारिश संख्या 5 : राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में संकाय पदों को भरना</u>

समिति नोट करती है कि व्यय विभाग ने फरवरी, 2019 में एनआईपीईआर के लिए 156 संकाय पद सृजित किए हैं। वर्तमान में संकाय के 70% पद भरे जा चुके हैं और शेष प्रक्रियाधीन हैं। चूंकि एनआईपीईआर के प्रभावी प्रदर्शन के लिए आवश्यक संख्या में संकाय सदस्यों की उपलब्धता बहुत आवश्यक होता है, समिति सिफारिश करती है कि सभी एनआईपीईआर के लिए आवश्यक संख्या में संकाय की भर्ती की प्रक्रिया संकायों के सभी स्वीकृत पदों की भर्ती हो जाने तक एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। इस संबंध में की गई प्रगति के बारे में समिति को सूचित किया जाए।

<u>सिफारिश संख्या 6 : पांच नए एनआईपीईआर की स्थापना</u>

समिति यह जानकर व्यथित है कि तमिलनाडु (मदुरै), कर्नाटक (बैंगलोर), छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में पांच नए एनआईपीईआर स्थापित करने का प्रस्ताव अभी भी कागज पर है और उन्हें स्थापित करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में, समिति यह नोट करती है कि विभाग ने व्यय वित्त समिति (ईएफसी) को अगले पांच वर्षों के लिए वर्तमान सात एनआईपीईआर और अतिरिक्त पांच एनआईपीईआर के लिए 4300.00 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए कहा था। हालांकि, ईएफसी ने एनआईपीईआर के लिए केवल 1500 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, इस शर्त के साथ कि इस आवंटन का उपयोग केवल मौजूदा सात एनआईपीईआर के लिए किया जाना चाहिए। इस संबंध में, औषध विभाग ने अब इन एनआईपीईआर के वित्तपोषण के वैकल्पिक तरीकों का पता लगाने का प्रस्ताव रखा है। चूंकि औषधीय शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सात एनआईपीईआर की वर्तमान संख्या शायद ही पर्याप्त है, इसलिए समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि औषध विभाग द्वारा पांच नई एनआईपीईआर स्थापना के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इस संबंध में, ईएफसी को उनके निर्णय पर पुनर्विचार के लिए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है

और इस समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंता से उन्हें अवगत कराया जाए। विभाग इन एनआईपीईआर के वित्त पोषण के वैकल्पिक तरीकों का भी पता लगा सकता है जिसमें संघ और संबंधित राज्य सरकारों दोनों द्वारा वित्तीय योगदान शामिल है ताकि इन पांच एनआईपीईआर को भी समयबद्ध तरीके से विकसित और पूरा किया जा सके। इस संबंध में की गई प्रगति से समिति को अवगत कराया जाए।

<u>सिफारिश संख्या 7: प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)</u>

समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए फर्मास्यूटीकल विभाग को 100 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव की बजाय पीएमबीजेपी को 72.50 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन ही किया गया है। इस योजना के तहत, वर्ष 2022-23 के दौरान 1000 नए केंद्र खोलने और 1,800 दवाओं एवं 280 सर्जिकल उत्पादों को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, इस वर्ष के लिए 775.00 करोड़ रुपये के बिक्री लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। विभाग के अनुसार, बजट अनुमान स्तर पर आवंटित धनराशि पर्याप्त नहीं है और निधियों का कम आवंटन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करेगा। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। 15.02.2022 तक, देश में 8683 पीएमबीजेपी आउटलेट खोले गए हैं, जिनमें 1451 दवाओं और 240 सर्जिकल उत्पाद उपलब्ध हैं। इस संबंध में, समिति को लगता है कि देश में नौ लाख से अधिक मेडिकल दुकानों की तुलना में देश में पीएमबीजेपी के आउटलेट की संख्या <u>अपर्याप्त है</u>। इसके अतिरिक्त देश की वर्तमान जनसंख्या अर्थात लगभग 140.52 करोड़ के संबंध में यह नोट किया जाता है कि एक केन्द्र लगभग 16 लाख जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए, देश में पीएमबीजेपी आउटलेट की संख्या बढ़ाने और आउटलेट के प्रोडक्ट बास्केट को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि औषध विभाग को 2022-23 के संशोधित अनुमान स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शेष धनराशि (27.50 करोड़ रुपये) के आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय पर जोर डालना चाहिए। समिति की इस सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय को भी भेजी जानी चाहिए।

<u>सिफारिश संख्या 8: पीएमबीजेपी का कवरेज और उत्पाद बास्केट</u>

समिति नोट करती है कि देश के सभी 739 जिलों को पहले ही प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत कवर किया जा चुका है। योजना को लोकप्रिय बनाने और आकांक्षी जिलों, हिमालयी, द्वीप क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्रों के

विस्तार के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। ऐसे केंद्रों को अब सामान्य प्रोत्साहनों के अलावा 2 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान मिलता है। फर्नीचर और फिक्स्चर की प्रतिपूर्ति के लिए 1.50 लाख रुपये और कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि की प्रतिपूर्ति के लिए 0.50 लाख रुपये अनुदान मिलता है। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) ने पीएमबीजेपी आउटलेट खोलने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए हैं। जुलाई, 2021 में विभिन्न राज्यों के उन 265 जिलों में पीएमबीजेपी आउटलेट खोलने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है जहां कवरेज कम है। चूंकि देश के लोगों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना के कवरेज के विस्तार हेतु निरंतर प्रयास किए जाने हैं, समिति निम्नलिखित सिफारिशें करना चाहती है: -

i) शहरी इलाकों में अधिक जन औषधि आउटलेट खोलने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए, विशेष रूप से उन झुग्गी बस्तियों और अन्य शहरी क्षेत्रों में और अर्ध शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, दूरदराज के क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां गरीब और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सघनता अधिक है, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को योजना का लाभ मिल सके।

ii) आकांक्षी जिलों, हिमालयी, द्वीप क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के उद्यमियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन की पेशकश उन सभी उद्यमियों को की जा सकती है जो देश के किसी भी हिस्से में पीएमबीजेपी आउटलेट स्थापित करने के लिए आगे आते हैं ताकि उनके लिए इसे आकर्षक बनाया जा सके।

iii) औषध विभाग और पीएमबीआई द्वारा प्रोत्साहन अवधि के बाद भी इन आउटलेट की निरंतर व्यवहार्यता पर एक अध्ययन/मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसमें जनऔषधि दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के साथ अन्य उत्पादों को बेचने की अनुमति की आवश्यकता भी शामिल है और अध्ययन/मूल्यांकन के परिणाम के अनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकती है।

iv) विभाग द्वारा पीएमबीआई और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के साथ मिलकर पीएमबीजेपी आउटलेट के माध्यम से बेची जा रही जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता, प्रभावकारिता और उसके किफायती दर के बारे में लोगों को शिक्षित करने के

लिए उपाय किए जाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन आउटलेट की ओर आकर्षित किया जा सके।

v) औषध विभाग, एनपीपीए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, चिकित्सकों को अत्यधिक ब्रांडेड दवाओं के बजाय गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए समन्वित प्रयास कर सकते हैं। यह सिफारिश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भी भेजी जा सकती है।

उपर्युक्त प्रत्येक सिफारिश के संबंध में की गई विशिष्ट कार्रवाई उत्तर दिया जाए।

<u>सिफारिश संख्या 9: औषध उद्योग को सुदृढ़ बनाने की योजना</u>

समिति ने नोट किया कि व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने तीन उप-योजनाओं को डी-लिंक करने की सिफारिश की है, जैसे (i) औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस); (ii) औषध उद्योग को सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता (एपीआईसीएफ) और (iii) औषध उद्योग के विकास की प्रमुख योजना से औषध प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (पीपीडीएस) और उन्हें एक अलग योजना के रूप में लागू किया जाना। तदनुसार, विभाग 'स्कीम फॉर स्ट्रेन्थेनिंग दी फर्मास्युटिकल इंडस्ट्री' नामक एक विशेष योजना लागू कर रहा है। उपर्युक्त तीन योजनाओं को इस नई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। विभाग के अनुसार इन तीनों योजनाओं को लागू करने के लिए ईएफसी ने पांच साल के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इस संबंध में, विभाग ने योजना दिशानिर्देशों पर पहुंचने से पहले हितधारकों से व्यापक परामर्श किया है, जिन्हें तदनुसार संशोधित किया जा रहा है और मंत्री के अनुमोदन के लिए रखा गया है। जैसा कि पिछले वर्ष समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, विभाग बिना किसी देरी के व्यवस्थित, पेशेवर और पारदर्शी तरीके से इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पेशेवर पीएमसी - परियोजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया में है। अगले पांच वर्षों के लिए सुनिश्चित वित्तीय आवंटन को ध्यान में रखते हुए, अब समिति को आशा है कि विभाग इन उप-योजनाओं के कार्यान्वयन के स्तर को बढ़ाएगा ताकि विभाग देश के लिए दवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सके। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि विभाग को मंत्री के अनुमोदन से योजना के संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से कार्य करना चाहिए और प्रत्येक उप योजना को 2022-23 से अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में की गई प्रगति की सूचना से समिति को अवगत कराया जाना चाहिए।

<u>सिफारिश संख्या 10: औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)</u>

समिति नोट करती है कि विभाग ने औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस) के लिए 100.00 करोड़ रुपये मांगे थे, लेकिन वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत बजट अनुमान आवंटन 62.00 करोड़ रुपये है। विभाग के अनुसार, प्रस्तावित और स्वीकृत बजट अनुमान आवंटन में इस अंतर का कारण ईएफसी अनुमोदन के अनुसार पीटीयूएएस के योजना दिशानिर्देशों का वर्तमान संशोधन है। स्वीकृत होने के बाद वित्त वर्ष 2022-23 में उपयुक्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान इस महत्वपूर्ण योजना के लिए केवल सांकेतिक आवंटन किया गया था। पहली बार, इस योजना को 2022-23 के बजट अनुमान चरण में 62.00 करोड़ रुपये की आवश्यक वित्तीय सहायता मिली है। पीटीयूएएस का उद्देश्य औषध मध्यम, लघु और सुक्ष्म उद्यम (फार्मा एमएसएमई) को डब्ल्यूएचओ-उत्तम निर्माण कार्यों के लिए गुणवत्ता और तकनीक दोनों के मामले में अपने मानकों का उन्नयन करने के लिए ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि फार्मा एमएसएमई गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन कर सकें और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनें। यह योजना इन उद्यमों को अनुसूची एम से डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मानकों में उन्नयन करने में सक्षम बनाती है ताकि वे वैश्विक बाजारों में निर्यात करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के योग्य हों। थोक और एपीआई दवाओं के निर्माण में 6790 एसएमई में से केवल 2006 डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणित हैं और 4500 से अधिक डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणन के दायरे से बाहर हैं। समिति यह नोट करने के लिए विवश है कि यह योजना पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सांकेतिक आवंटन के साथ कागज पर बनी रही। वर्ष 2022-23 के लिए किए गए धनराशि आवंटन के साथ, विभाग के लिए 2022-23 से इस योजना को लागू करने के लिए ठोस और समयबद्ध प्रयास शुरू करने का समय आ गया है। इसलिए, समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है:

i) योजना के दिशा-निर्देशों को शीघ्रता से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और 2022-23 के लिए आवंटित निधि का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

ii) उन्होंने योजना के क्रियान्वयन के लिए जरूरत होने पर और धनराशि की 2022-23 के संशोधित अनुमान स्तर पर मांग की जानी चाहिए।

iii) फार्मा क्षेत्र में लगे सभी एमएसएमई को डब्ल्यूएचओ जीएमपी मानकों के रूप में उन्यन करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए क्योंकि उनके उन्नयन से देश के बहुत लाभ होगा और देश के लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध

कराने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर अन्य देशों में दवाओं के निर्यात का मार्ग प्रशस्त होगा।

<u>सिफारिश संख्या 11: सामान्य सुविधा केंद्र के लिए औषध उद्योग को सहायता (पहले क्लस्टर विकास के रूप में जाना जाता था)</u>

(क) समिति यह नोट करती है कि सामान्य सुविधा केंद्र (जिसे पहले क्लस्टर विकास के रूप में जाना जाता था) के लिए औषध उद्योग को सहायता योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में कार्यान्वित की जाती है। इस उप-योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधाओं के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि सामान्य परीक्षण केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, केन्द्रीय बहिस्त्राव शोधन योजना (सीईटीपी), कॉमन लोजिस्टिक सेंटर आदि। आगामी वर्ष 2022-23 के लिए, विभाग को 36.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो 2021-22 के दौरान संशोधित अनुमान (आर ई) के स्तर पर 15.61 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, 2021-22 के दौरान समिति ने पाया कि निधियों का बेहद कम उपयोग किया गया है। 11.02.2022 की स्थिति के अनुसार विभाग के पास संशोधित अनुमान स्तर पर उपलब्ध 15.61 करोड़ रुपये में से वास्तविक उपयोग केवल 9.6 प्रतिशत है जो 1.51 करोड़ रुपये है। इस संबंध में, समिति विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन को नोट करती है कि वे 31 मार्क से पहले कुछ परियोजनाओं के लिए धन जारी करेंगे। 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले योजना के तहत उपयोग की गई वास्तविक निधि के ब्योरे की सूचना समिति को दी जानी चाहिए। यह नोट करने के बाद कि इस योजना के तहत कुछ सामान्य बहिस्त्राव शोधन संयंत्र, परीक्षण प्रयोगशाला आदि अनुमोदन/कार्यान्वयन के चरणों में हैं, समिति ने सिफारिश की है कि 2022-23 के दौरान इन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने और चालू करने के लिए और वर्ष के लिए आवंटित निधियों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए विभाग द्वारा ठोस और समयबद्ध कदम उठाए जाने चाहिए।

(ii) समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग को इस योजना के तहत पीपीपी परियोजनाओं के विस्तार के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि उन सभी

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया जा सके जहाँ निजी फार्मा उद्योगों की मजबूत उपस्थिति है और उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सके जो फार्मा उद्योगों को विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं।

<u>सिफारिश संख्या 12: औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस)</u>

i. iiiiसमिति यह नोट करती है कि औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस) का उद्देश्य संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के आयोजन, अध्ययन/परामर्श आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके औषध क्षेत्र में संवर्धन, विकास और निर्यात संवर्धन करना है। फिलहाल विभाग द्वारा नई योजना के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान (आर ई) के स्तर पर 2.00 करोड़ रुपये के आवंटन में से विभाग ने 11.02.2022 तक केवल 1.01 करोड़ रुपये का उपयोग किया है। इस संबंध में, समिति यह नोट करती है कि वित्त वर्ष 2021-22 में 5 अध्ययनों को मंजूरी दी गई है और इस उद्देश्य के लिए आंशिक किस्तें जारी की जानी हैं। इसके अलावा, कुछ कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों का आयोजन किया जाना है और यह उम्मीद की जाती है कि 31 मार्च, 2022 तक पूरे संशोधित अनुमान (आर ई) का उपयोग किया जाएगा। वर्ष 2021-22 के दौरान आरई आवंटन के उपयोग के संबंध में की गई प्रगति को समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वर्ष 2022-23 के लिए, विभाग को फिर से 2.00 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। विभाग के अनुसार, पहले इस योजना के तहत किए गए अध्ययन तदर्थ थे और अब विभाग ने सभी विभागों/संगठनों/उद्योग से अध्ययन की आवश्यकताओं को एकत्र कर लिया है और अब एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करवा रहा है। समिति का मानना है कि इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से देश में फार्मा क्षेत्र के संवर्धन और विकास में मदद मिलेगी और इसलिए समिति सिफारिश करती है कि इस योजना के तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों/अध्ययनों का एक वार्षिक कैलेंडर एक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले ही तैयार किया जाना चाहिए और अंतिम तिमाही में ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की बजाय किए गए बजटीय आवंटन के संसाधनपूर्ण खर्च के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

ii. समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग देश में फार्मा क्षेत्र के समग्र संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने के लिए फार्मा एक्सपो जैसे मेगा कार्यक्रमों के आयोजन पर विचार करे।

<u>सिफारिश संख्या 13: बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन (सामान्य सुविधा केंद्र के लिए थोक दवा उद्योग को सहायता)</u>

(i) समिति यह नोट करती है कि इस उप-योजना का उद्देश्य विश्व स्तरीय सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के सृजन के लिए सहायता अनुदान प्रदान करके तीन बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देना है। प्रति पार्क 1000 करोड़ रुपये या सीआईएफ की लागत का 70% जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए 90 प्रतिशत होगी। इस योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 3000.00 करोड़ रुपये है और इसके कार्यान्वयन की अवधि 2020-21 से 2024-25 है। समिति ने नोट किया कि यह योजना 2019-20 से शुरू नहीं हो पाई है। 2019-20 के दौरान केवल एक सांकेतिक आवंटन किया गया था। बाद में 2020-21 के दौरान, परियोजना प्रबंधन एजेंसी के लिए 1.69 करोड़ रुपये के आरई आवंटन में से 1.68 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान, संशोधित अनुमान (आर ई) के स्तर पर आवंटित 36.24 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि लाभार्थी राज्यों का चयन करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। तथापि, यह नोट किया गया है कि बजट अनुमान 2022-23 में 900 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। इस राशि का उपयोग अनुदान-सहायता के रूप में सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के निर्माण के लिए तीन चयनित राज्यों को 300 करोड़ रुपये की पहली किस्त देने के लिए किया जाएगा। तेरह राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन किया है। चूंकि परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) ने 2021-22 के दौरान इस योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों में कुछ मुद्दों की पहचान की है, इसलिए सीईओ, नीति आयोग, सचिव, डीओपी और डीपीआईआईटी और व्यय विभाग के प्रतिनिधियों के साथ एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसने विभाग को उच्च प्रौद्योगिकी और बल्क ड्रग सेगमेंट के संबंध में पिछले वर्ष में उभरने वाले बाजार और पर्यावरणीय जोखिम को देखते हुए प्राप्त प्रस्तावों पर गुणात्मक फिल्टर का एक सेट लागू करने की सलाह दी है । इस संबंध में विभाग में फिलहाल प्रक्रिया चल रही है। देश को निर्भरता के बजाय स्वदेशी रूप से थोक दवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि तीन लाभार्थी

राज्यों के चयन की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और जिन राज्यों को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए चुना जाना है, उन्हें 300 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की जानी चाहिए ताकि अप्रयुक्त बजटीय आबंटन को वापस लौटाने की अवांछनीय स्थिति की पुनरावृत्ति न हो।

(ii) समिति का यह भी मानना है कि देश में थोक औषधियों की उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से, देश की विश्व फार्मेसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तीन बल्क ड्रग पार्क पर्याप्त नहीं हैं। चूंकि फार्मा क्षेत्र में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि सभी इच्छुक राज्यों में और अधिक बल्क ड्रग पार्क स्थापित किए जा सकते हैं और इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित बजटीय आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया जा सकता है।

<u>सिफारिश संख्या 14: चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन (सामान्य सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए सहायता)</u>

<u>i.</u> समिति यह नोट करती है कि इस योजना का उद्देश्य सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के सृजन के लिए सहायता अनुदान प्रदान करके 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना है। 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए इस योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपये है। वित्तीय सहायता प्रति पार्क 100 करोड़ रुपये या सीआईएफ की लागत का 70 प्रतिशत, जो भी कम हो, है। यह सहायता पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए 90 प्रतिशत होगी। समिति इस बात के लिए चिंतित है कि 2020-21 और 2021-22 के दौरान इस योजना के लिए आवंटित की गई निधियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान 21.05 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान आवंटन में से केवल 7.49 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए। 2021-22 के दौरान, विभाग ने समिति को सूचना दिए जाने तक 137.02 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान आवंटन में से 50.62 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इस संबंध में विभाग ने समिति को आश्वासन दिया है कि शेष राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले राज्यों को जारी कर दी जाएगी। जाएगी। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार किए गए वास्तविक व्यय का ब्योरा समिति को प्रस्तुत किया जाए। इस पृष्ठभूमि में, बजट अनुमान (बीई) 2022-23 में 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसे विभाग राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) द्वारा आनुपातिक योगदान के साथ 4 चिकित्सा उपकरण पार्क राज्यों को अनुदान की दूसरी किश्त के रूप में जारी करेगा। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के

भारतीय अर्थव्यवस्था का एक उदीयमान क्षेत्र होने के नाते, चिकित्सा उपकरण पार्कों में अत्याधुनिक सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) का निर्माण समय की आवश्यकता है और उनके सृजन से चिकित्सा उपकरण उद्योग में निजी निवेश आकर्षित होगा। इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग को हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा रहे चार चिकित्सा उपकरण पार्कों को बजटीय निधियां शीघ्र जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और विभाग द्वारा इसकी निगरानी भी की जानी चाहिए कि जारी की गई निधियों का संबंधित राज्यों द्वारा संसाधनपूर्वक उपयोग किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति के बारे में समिति को सूचित किया जाना चाहिए।

ii. समिति देश में और अधिक चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना की आवश्यकता की जांच करने की भी सिफारिश करती है और अन्य राज्यों में भी चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए।

<u>सिफारिश सं.15: महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री(केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषधि सामग्री(एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना</u>

समिति नोट करती है कि इस स्कीम में 41 प्रमुख प्रारंभिक सामग्री(केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती(डीआई) और सक्रिय औषधि सामग्री(एपीआई) के निर्माण के लिए योजना के तहत चुने गए निर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। यह योजना चयनित प्रतिभागियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय रुपये 6,940.00 करोड़ और इसका कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-2021 से 2029-30 तक है। समिति ने नोट किया कि विभाग को वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान के स्तर पर केवल 2.79 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2022-23 में संशोधित अनुमान के स्तर पर 390.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। विभाग के मुताबिक, औषध सेक्टर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। राउंड I और राउंड II में कुल 239 आवेदन प्राप्त हुए थे। 49 आवेदकों को 3,685.38 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ अनुमोदित किया गया है। इन 49 आवेदकों में से 8 ने पहले ही अपने संयंत्रों को चालू कर दिया है और 13 और आवेदकों द्वारा मार्च, 2022 के अंत तक अपने संयंत्रों को चालू करने की उम्मीद है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य 41 महत्वपूर्ण एपीआई के लिए आयात पर निर्भरता को कम करना है। हालांकि, समिति ने नोट किया कि 41 महत्वपूर्ण एपीआई में से केवल 33 एपीआई ने घरेलू निर्माताओं के बीच अपने बोलीदाताओं को पाया और अन्य 8 एपीआई के संबंध में प्रतिक्रिया खराब है क्योंकि इन एपीआई की बाजार में मांग नहीं है और ये किण्वन आधारित हैं जिनकी तकनीक मुश्किल और साथ ही महंगी है जिसमें अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, निजी कंपनियां इन 8 एपीआई में निवेश करने से हिचकिचाती हैं क्योंकि उनके अंतिम उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। इस संबंध में समिति नोट करती है कि अन्य देश बिजली की लागत, पानी की लागत और पर्यावरणीय लागत के मामले में बहुत उच्च स्तर की सहायता प्रदान कर रहे हैं। चूंकि महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री/औषधि मध्यवर्ती और सक्रिय औषधि सामग्री के लिए एक मजबूत विनिर्माण आधार बनाना बहुत आवश्यक है ताकि देश पूरी तरह से घरेलू दवाओं की जरूरतों के साथ-साथ निर्यात के लिए स्वदेशी रूप से इन सामग्रियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, समिति इसलिए निम्नलिखित की पुरजोर सिफारिश करती है:-

(i) विभाग को योजना के तहत 390.00 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के समयबद्ध और संसाधनपूर्ण उपयोग के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत सभी 49 आवेदकों द्वारा संयंत्रों को शीघ्र चालू करने और इन संयंत्रों द्वारा समय पर बिक्री शुरू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि उन्हें उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के रूप में प्रोत्साहन दिया जा सके। इस संबंध में की गई प्रगति की सूचना समिति को दी जानी चाहिए।

(ii) चूंकि किण्वन तकनीक कठिन है और बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है,विभाग कोइस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के समन्वय से उन उद्यमियों को उच्च स्तरीय सहायता प्रदान करने पर विचार करना चाहिए जो सब्सिडी वाली बिजली लागत, कम लागत पर पर्याप्त पानी की आपूर्ति, सिंगल विंडो पर्यावरण मंजूरी, कम पर्यावरणीय लागत आदि के संदर्भ में इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए आगे आते हैं।

(iii) विभाग को विभिन्न हितधारकों के परामर्श से 8 एपीआई/केएसएम के स्थान पर वैकल्पिक उत्पादों की एक सूची तैयार करनी चाहिए जो अब कम मांग के कारण

आवश्यक नहीं हैं और योजना के तहत शामिल करने के लिए उन वैकल्पिक एपीआई के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी चाहिए।

(iv) चूंकि किण्वन आधारित एपीआई जटिल और महंगी प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं, इसलिए किण्वन प्रक्रिया के लिए लागत प्रभावी वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के आविष्कार के लिए अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस संबंध में एनआईपीईआर को अनुसंधान और विकास में भी लगाया जा सकता है।

<u>सिफारिश सं.16: चिकित्सा उपकरणों के लिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना</u>

i. समिति नोट करती है कि भारत सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को 20.03.2020 को भारत में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण की चुनौतियों से निपटने के लिए अन्य प्रमुख निर्माता देशों की तुलना में मंजूरी दी थी। योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश 29.10.2020 को जारी किए गए थे। यह योजना केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर लागू है और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने का इरादा रखती है। योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2027-28 तक है, जिसमें कुल वित्तीय परिव्यय 3,420.00 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत, चयनित कंपनियों को भारत में निर्मित और योजना के लक्षित खंडों के तहत आने वाले चिकित्सा उपकरणों की बिक्री में वृद्धि के 5% की दर से पांच साल की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए विभाग को बजट अनुमान स्तर पर 216.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो कि 2021-22 के दौरान संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटित 3.31 करोड़ रुपये की तुलना में एक उल्लेखनीय वृद्धि है। इसके अलावा, विभाग ने योजना के तहत 21 आवेदकों को मंजूरी दी है। चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी 21 आवेदक अपने संयंत्रों को समयबद्ध तरीके से चालू करें और चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन और बिक्री शुरू करें ताकि वे योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र बन सकें, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि औषध विभाग द्वारा इन आवेदकों द्वारा संयंत्रों को समय पर चालू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और

चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन और बिक्री के आधार पर उन्हें प्रोत्साहन के वितरण के लिए 216.00 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस संबंध में परियोजना प्रबंधन एजेंसी पर एक निश्चित जिम्मेदारी तय की जा सकती है। वर्ष2022-23 के दौरान योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का विवरण समिति को सूचित किया जाना चाहिए।

ii. समिति नोट करती है कि इस योजना के तहत प्रदान किए गए प्रोत्साहन केवल वृद्धिशील बिक्री के लिए हैं और किसी भी तरह से ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों अर्थात् खराब बुनियादी ढांचा, कमजोर घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और रसद, परियोजना वित्त की उच्च लागत, अपर्याप्त बिजली बैकअप, सीमित डिजाइन क्षमता, अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास में कम निवेश, आदि का समाधान नहीं करते हैं। जब तक इन चुनौतियों को दूर नहीं किया जाता है, तब तक यह कल्पना करना मुश्किल है कि घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग पीएलआई योजना से वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग चिकित्सा उपकरण उद्योग के सामने आने वाली इन जमीनी चुनौतियों से निपटने के तरीकों और साधनों पर विचार करे और इस पर उचित कदम उठाए।

<u>सिफारिश सं.17: औषध के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना</u>

समिति ने नोट किया कि फार्मास्युटिकल्स के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट ने 11.11.2020 को इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाने और औषध सेक्टर में उच्च मूल्य के सामानों के उत्पाद विविधकरण में योगदान देने के उद्देश्य से मंजूरी दी थी। इस योजना का एक और उद्देश्य भारत को वैश्विक चैंपियन बनाना है जो अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके आकार और पैमाने में बढ़ने की क्षमता रखता है और इस तरह वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। योजना का परिव्यय 15,000.00 करोड़ रुपये हैऔर औषध सामानों को उनकी वृद्धिशील बिक्री के आधार पर योजना के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना की अवधि वित्त वर्ष 2021 से 2028-29 तक प्रस्तावित है। (संदर्भः पैरा 3.50) हालांकि वर्ष 2022-23 लिए विभाग को बजट अनुमान स्तर परकेवल 3.00 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, 3.00 करोड़ रुपये के कुल संशोधित अनुमान आवंटन में से 1.24 करोड़ रुपये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), परियोजना प्रबंधन

एजेंसी को सेवा शुल्क के रूप में जारी किए गए हैं और शेष 1.76 करोड़ रुपये सरेंडर कर दिए गए हैं। योजनान्तर्गत सहायता हेतु विभाग की चयन समिति द्वारा अब तक समूह ए के अंतर्गत 11 आवेदकों, समूह 'बी' के अंतर्गत 9 आवेदकों और समूह 'सी' श्रेणी के अंतर्गत 35 आवेदकों का चयन किया गया है। चूंकि योजना के अक्षरश: कार्यान्वयन से देश में औषध क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए समिति निम्नलिखित की सिफारिश करती है:-

i) 2022-23 से योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। विशेष रूप से, तीनों श्रेणियों से संबंधित सभी 55 अनुमोदित आवेदकों द्वारा संयंत्रों को चालू करना 2022-23 के दौरान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें प्रोत्साहन राशि का वितरण शुरू किया जा सके।

ii) योजना के लिए निर्धारित 15,000.00 करोड़ रुपये में से 2022-23 के लिए केवल 3.00 करोड़ रुपये का आवंटन मामूली है। इस संबंध में विभाग को वर्ष 2022-23 के दौरान उत्पादन और बिक्री शुरू करने वाले आवेदकों को प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर निधि के अपेक्षित आवंटन की मांग करनी चाहिए।

iii) इस योजना की श्रेणी 2 के तहत, सक्रिय औषधि सामग्री/प्रमुख प्रारंभिक सामग्री/औषधि मध्यवर्ती को शामिल किया गया है। चूंकि एपीआई/केएसएम/डीआई के लिए एक अलग पीएलआई योजना है, विभाग इस योजना के तहत श्रेणी 2 की आवश्यकता की जांच कर सकता है और उस पर उचित कार्रवाई कर सकता है।

iv) इन श्रेणियों के अधीन औषध के उत्पादन के क्षेत्र को देखते हुए इन तीनों श्रेणियों के अधीन अनुमोदित आवेदकों की संख्या कम है। इस संबंध में विभाग पीएलआई योजना के माध्यम से औषध स्टार्टअप और युवा उद्यमियों के लिए समर्थकारी इकोसिस्टम का निर्माण करे और औषधियों के उत्पादन में भारत को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए इस योजना के अधीन वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों को में वृद्धि करे।

सिफारिश संख्या-18: फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा भविष्य की रणनीति

i. समिति यह नोट कर चिंतित है कि फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए वर्ष 2022-23 के लिए केवल एक लाख रुपये का सांकेतिक आवंटन किया गया है। इस संबंध में समिति नोट करती है कि औषध विभाग औषध और औषधि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा नवोन्मेष को उत्प्रेरित करने के लिए नीति लेकर आया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल नोट का प्रारूप पहले ही परिचालित किया जा चुका है। हमें उद्योगों एवं विभागों से अनेक टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। अब इस नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि फार्मा क्षेत्र को विकास के अगले स्तर पर ले जाना और वैश्विक बाजार में इस क्षेत्र के महत्व को बढ़ाना आवश्यक है, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि इस नीति को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए और औषध विभाग इस नीति के शब्दश: कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाए। अनुसंधान और विकास के लिए पृथक बजटीय आवंटन भी किया जाना चाहिए ताकि फार्मा क्षेत्र में और विशेषत: चिकित्सीय उपकरण उद्योग में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में आवश्यक वित्त उपलब्ध कराए जा सके। औषध विभाग को वित्त मंत्रालय को समझाना चाहिए कि फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए बजटीय आवंटन की क्या आवश्यकता है। इस प्रयोजन हेतु समिति की यह सिफारिश भी मंत्रालय को बताई जा सकती है।

ii. समिति महसूस करती है कि सरकार द्वारा फार्मा क्षेत्र को हर मोर्चे पर समग्र रूप से विकसित करने और इसे विश्व में अग्रणी बनाने हेतु से सहायता प्रदान करने हेतु, ऐसी स्पष्ट रणनीति बनाया जाना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में समिति सिफारिश करती है कि सरकार इस क्षेत्र के सर्वोत्तम नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों की सहायता से दीर्घावधि योजना/रणनीति बनाए। जिससे की देश में फार्मा क्षेत्र के समग्र विकास हेतु देश में विश्वस्तरीय अवसंरचना का निर्माण हो सके।

सिफारिश संख्या 19: सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता

समिति यह नोट कर चिन्तित है कि औषध विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए की गई 8021.48 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले ''सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता'' शीर्ष के अधीन केवल 5.30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। विभाग ने इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड के लिए 6988.50 करोड़ रुपये का तथा हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के लिए 1038.24 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। तथापि, बजट अनुमान 2022-23 के चरण में इन दोनों उपक्रमों के लिए क्रमश: केवल 4.00 करोड़ रुपये और 1.26 करोड़

रुपये का आवंटन किया गया है। औषध विभाग के अनुसार इस विभाग के पीएसयू प्रभाग ने आईडीपीएल का प्रस्ताव और एचएएल द्वारा मांगी गई निधियों (क्रमश: 6988.50 करोड़ रुपये और 1038.24 करोड़ रुपये) विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं असंरक्षित देयताओं जैसी शेष देयताओं के भुगतान की पूर्ति हेतु किया गया है। आईडीपीएल, एचएएल और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के लम्बित बकाया (सेवारत/सेवानिवृत्त/वीआरएस) वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में ऋण के रूप में बजटीय सहायता प्रदान कर निपटाया गया है एवं एचएएल कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ब्याज का भुगतान (76.00 करोड़ रुपये) वर्ष 2021-22 में निर्गत किया गया है। अब बजट अनुमान 2022-23 में आकस्मिक व्यय, कोर्ट केस आदि के लिए एचएएल और आईडीपीएल के लिए केवल 5.30 करोड़ रुपये की न्यूनतम राशि ही आवश्यक है। आगे समिति नोट करती है कि विभिन्न स्थानों पर आईडीपीएल के संयंत्र बन्द किए जा चुके हैं तथा ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल का संयंत्र उत्तराखंड सरकार को वापस दिया जा रहा है। आरडीपीएल भी बंद की जा चुकी है तथा इसे राजस्थान सरकार को हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव पर विभाग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। अन्य तीन उपक्रमों के बारे में सरकार ने एचएएल की जो कि घाटे की कम्पनी है, रणनीतिक बिक्री एवं लाभकारी कंपनियों के एपीएल और बीसीपीएल के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव किया है। सरकार जिस प्रकार से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों से निपट रही है, इसे चिन्तापूर्वक नोट करते हुए समिति दृढ़तापूर्वक निम्नलिखित सिफारिशें करती है:-

i) आईडीपीएल और एचएएल की विभिन्न देयताओं जैसे विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों की बकाया देयताएं और असंरक्षित देयताओं को तत्काल समाप्त करने हेतु उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

ii) आईडीपीएल, ऋषिकेश और आरडीपीएल की फैक्ट्रियों को संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूर्ण की जानी चाहिए।

iii) गुड़गांव, हैदराबाद, चेन्नई एवं अन्य स्थानों पर बंद पड़े आईडीपीएल के संयंत्रों के सतत प्रचालन हेतु उन्हें संबंधित राज्य सरकारों को हस्तान्तरित करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

**नई दिल्ली;** **कनिमोझी करुणानिधि**

**16 मार्च , 2022** **सभापति,**
**25 फाल्गुन, 1943(शक)** **रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति**

**रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति**
**(2021-22)**

**समिति की पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश**

समिति की बैठक शुक्रवार, 25 फरवरी , 2022 को 1100 बजे से 1330 बजे तक समिति कमरा संख्या 1, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

**उपस्थित**

**श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि - सभापति**

**सदस्य**

**लोक सभा**

2. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
3. श्री सत्यदेव पचौरी
4. श्री अरुण कुमार सागर
5. श्री एम. सेल्वराज
6. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
7. श्री प्रदीप कुमार सिंह
8. श्री उदय प्रताप सिंह

**राज्य सभा**

9. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
10. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
11. डॉ. अनिल जैन
12. श्री अरूण सिंह

**सचिवालय**

1. श्री नवीन कुमार झा - निदेशक
2. श्री सी. कल्याणसुन्दरम - अपर निदेशक
3. श्री कुलविन्दर सिंह - उप सचिव
4. श्री पन्ना लाल - अवर सचिव

## साक्षी

**I. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के प्रतिनिधि**

| **क्र. सं.** | **अधिकारी का नाम** | **पदनाम और विभाग** |
|---|---|---|
| 1. | सुश्री एस. अपर्णा | सचिव, औषध विभाग |
| 2. | श्री सतेन्द्र सिंह | एएस तथा एफए |
| 3. | श्री रजनीश टिंगल | संयुक्त सचिव, औषध विभाग |
| 4. | श्री एन. युवराज, | संयुक्त सचिव, औषध विभाग |
| 5. | श्री एच. के. हजोंग, | आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग |

**पीएसयू/स्वायत्त संस्थानों के प्रतिनिधि**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री कमलेश कुमार पंत | अध्यक्ष, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण |
| 2. | सुश्री नीरजा सर्राफ | प्रबंध निदेशक, एचएएल और आरडीपीएल, बीसीपी (अतिरिक्त प्रभार) |
| 3. | श्री सुनील कुमार कैमल | प्रबंध निदेशक, केएपीएल |
| 4. | श्री रवि दाधीच | सीईओ (पीएमबीआई) |
| 5. | डॉ शशि बाला सिंह | निदेशक (नाइपर- हैदराबाद) |
| 6. | प्रो दुलाल पांडा | निदेशक (नाइपर) मोहाली |

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया जो 'अनुदानों की मांगों 2022-23' पर मंत्रालय के मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई थी। संसदीय समितियों के समक्ष साक्ष्य के दौरान कार्यवाही की गोपनीयता के

संबंध में 'अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 58 की ओर साक्षियों का ध्यान आकर्षित करते हुए, सभापति ने सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए विगत वर्ष (2021-22) के लिए वास्तविक व्यय और वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय प्रावधानों तथा निर्धारित निधियों के इष्टतम उपयोग और वास्तविक लक्ष्यों में अधिकतम उपलब्धियों के लिए मंत्रालय की ओर से कार्य योजना का अवलोकन करने के लिए कहा।

3. औषध विभाग के प्रतिनिधियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय औषध उद्योग की वर्तमान स्थिति और वैश्विक व्यापार, निर्यात और आयात की प्रवृत्ति, भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि में इसके योगदान के बारे में बताया।

4. इसके अतिरिक्त, विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति को विभाग, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, 7 राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) की योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए 2021-22 में बजट उपयोग और वर्ष 2022-23 के लिए ब.अ. के बारे में भी जानकारी दी।

5. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने वर्ष 2021-22 के दौरान स.अ. चरण में किए गए आवंटनों के उपयोग, नाईपर में अनुसंधान को बढ़ावा देने, फार्मास्यूटिकल्स समूहों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, नाईपर अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, और अधिक जन औषधि केंद्र खोलने, आयातित एपीआई पर निर्भरता को कम करने आदि के बारे में सदस्यों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का भी उत्तर दिया।

6. सभापति ने इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने और सदस्यों के प्रश्नो का उत्तर देने के लिए मंत्रालय के सचिव और अन्य प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

7. बैठक की कार्यवाही के शब्दशः रिकार्ड की एक प्रति रखी गई है।

*तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।*

**रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति**
**(2021-22)**

**समिति की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश**

समिति की बैठक बुधवार, 16 मार्च, 2022 को 1500 बजे से 1545 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

**उपस्थित**

**श्री अरूण सिंह - सभापति (कार्यकारी)**

**सदस्य**

**<u>लोक सभा</u>**

2. श्री रमाकान्त भार्गव
3. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
4. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
5. श्री सत्यदेव पचौरी
6. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
7. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
8. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
9. श्री उदय प्रताप सिंह
10. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

**राज्य सभा**

11. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
12. श्री जी. सी. चन्द्रशेखर
13. श्री जयप्रकाश निषाद
14. श्री विजय पाल सिंह तोमर
15. श्री के. वेंलेल्वना

**<u>सचिवालय</u>**

1. श्री विनोद कुमार त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री नवीन कुमार झा - निदेशक
3. श्री सी. कल्याणसुंदरम - अपर निदेशक
4. श्री कुलविंदर सिंह - उप सचिव
5. श्री पन्नालाल - अवर सचिव

2. चूंकि समिति के सभापति बैठक में भाग लेने में असमर्थ थीं इसलिए समिति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 258 (3) के अंतर्गत बैठक के सभापति के रूप में श्री अरूण सिंह, संसद सदस्य का चयन किया।

3. तत्पश्चात, कार्यकारी सभापति ने समिति के सदस्यों का इस बैठक में स्वागत किया जिसे चार प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचारोपरांत स्वीकार करने के आयोजित की गई थी। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारोपरांत स्वीकार करने के लिए उठाया:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | XXX | XXX | XXX |
| (ii) | XXX | XXX | XXX |
| (iii) | XXX | XXX | XXX |
| (iv) | रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) की अनुदानों की मांगें (2022-23)'। | | |

3. समिति ने इन प्रतिवेदनों को विचारोपरांत सर्वसम्मति से किसी संशोधन के बिना ही स्वीकार कर लिया।

5. तत्पश्चात समिति ने सभापति को इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

**तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।**